भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **1988**

दिनांक 12 मार्च, 2021 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरसीईपी समझौते से बाहर निकलना

1988 : श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020 में भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौते से बाहर निकलने के क्या कारण है ;
(ख) क्या यह सच है कि कई पूर्व राजनयिकों और विदेश नीति विशेषज्ञों ने इस कदम की आलोचना की है;
(ग) यदि हॉ, तो क्या उनकी चिंताएं न्यायोचित है ;
(घ) भारत के निर्यात/आयात पर इस कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा ; और
(ड.) इस कदम से देश में निवेश का प्रवाह कैसे प्रभावित होगा ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): सरकार ने घरेलू उद्योग, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार विशेषज्ञों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों और राज्य सरकारों आदि जैसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए तथा इनपुट प्राप्त किए, जिन्हें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ताओं में भारत की स्थिति प्रतिपादित करते समय ध्यान में रखा गया। इन परामर्शों के आधार पर,आरसीईपी में भारत की स्थिति न्यायसंगत परिणामों, संतुलित आंकाक्षाओं को प्राप्त करने तथा छोटे उद्यमियों सहित अपने हितधारकों की घरेलू संवदेनशीलताओं का समाधान करने के लिए तैयार की गई थी।जबकि आरसीईपी का उद्देश्य,आरसीईपी देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करना था,किन्तु आरसीईपी की संरचना भारत के पणधारकों की महत्वाकांक्षाओं और चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करती है। इनके प्रकाश में, भारत ने अपनी वर्तमान स्थिति में, आरसीईपी में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। तदनुसार, 4 नवंबर,2019 को बैंकॉक में आयोजित तीसरे आरसीईपी लीडर्स समिट के दौरान, भारत ने यह स्पष्ट किया कि आरसीईपी की वर्तमान संरचना आरसीईपी मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है या भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का समाधान नहीं करती है। तथापि, भारत ने दोहराया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की आर्थिक नीति का आधार है और आसियान देशों और अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत का जुड़ाव जारी रहेगा।

****